FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JAIPUR CITY (EAST) **P.S. (थाना):** JAWAHAR CIRCLE **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0034 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/01/2026 18:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	339
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 22/01/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:10 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/01/2026 **Time (समय):** 18:10 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 046 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/01/2026 18:10:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** पश्चिम, 0.97 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** सेक्टर 9 मालवीय नगर

   (b) **Address(पता):** JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SHRI ANIL GOYAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHRI NARESH CHAND GOYAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1958

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	E 52 A, LAL BAHADUR NAGAR, MALVIYA NAGAR, JAIPUR, JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	E 52 A, LAL BAHADUR NAGAR, MALVIYA NAGAR, JAIPUR, JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9417269571

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NUPUR GARG		पिता:VIKASH GARG	1. A 31,JANTA COLONY,GOL CHOHRAHA,JAIPUR,ADARSH NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)),JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
2	SUBHASH LAMBA			1. POOJA TOWAT 3,GOPALPURA BY PASS,JAIPUR,BAJAJ

				(EAST),RAJASTHAN,INDIA
3	VK GUPTA			1. SITAPURA,JAIPUR,SANGANER SADAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
4	LAXMI MAGHNANI			1. 4/116,SFS AGARWAL FARM,MANSAROVAR,JAIPUR, MANSAROVAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
5	SUNITA RANI			1. 2135,RAMCHANDRAPURA,SITA PURA,JAIPUR,SANGANER SADAR,JAIPUR CITY

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम- जयपुर महानगर जयपुर प्रथम परिवाद संख्याः- 11/26 अनिल गोयल पुत्र श्री नरेश चन्द गोयल उम्र 68 साल निवासी ई-52-ए लालबहादुर नगर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर। परिवादी बनाम 1-नुपुर गर्ग पत्नि विकास गर्ग प्रोपराईटर मैसर्स हरिमोहन डिटरजेन्ट निवासी ए-31, जनता कालोनी, गौल चौराहा जयपुर। मोबाईल नंबर 98285961812- सुभाष लाम्बा, ब्रांच मैनेजर एक्सिस बैंक लिमिटेड पता-फर्स्ट फ्लोर, पूजा टॉवर-3, गोपालपुरा बाईपास महावीर नगर जयपुर। हाल पता सन्नी टॉवर, सी-स्कीम, जयपुर।3- वी. के. गुप्ता रीजनल मैने रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, सीतापुरा जयपुर। 4- श्रीमती लक्ष्मी मघनानी पत्नि श्री प्रकाशचन्द मंघनानी निवासी मकान नंबर 4/116 एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म,मानसरोवर, जयपुर, डायरेक्टर खाटूश्याम जी मैन्यूफेक्चरिंग प्रा०लि०5- सुनिता रानी प्रोपराईटर आदित्य फार्मा इंजीनियर पता-2135 रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा जयपुर।...अभियुक्तगण परिवादपत्र अंतर्गत धारा-210 जा०फौ०जुर्म धारा 316(2), 318(4), 336,339, 340 (2), 61-बी बी.एन.एस.श्रीमानजी,परिवादी-परिवादी की ओर से परिवादपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-1- यहकि परिवादी की पत्नि श्रीमती रेखा गोयल अपनी फर्म आर.के. एन्टरप्राईजेज की प्रोपराईटर है, उक्त फर्म ने रीको में एक प्लाट प्रहलादपुरा, सीतापुरा रीको इण्ड. ऐरिया में एप्लीकेशन दिनांक 22-1-2016 को महीला एन्टरप्राईजेज श्रेणी में आवंटन हेतु आवेदन किया था एवं प्लास्टिक आईटम व रबर पार्ट्स (Rubber Parts) के व्यवसाय करती है।
2- यहकि दिनांक 11-2-2016 को आयोजित लॉटरी में परिवादी की पत्नि की फर्म आर.के. एन्टरप्राईजेज के नाम से उक्त प्लाट नंबर जी-104, प्रहलादपुरा 25 प्रतिशत की रिबेट पर आवंटित किया गया था, जो पांच साल तक विक्रय नहीं कर सकते हैं। परिवादी व उसकी पत्नि ने डी.डी. नंबर 006845 एच. डी.एफ.सी.बैंक के जरिये 17,55,000 / रूपये रीको में जमा करवाये थे एवं दिनांक 14-6-2016 को NEFT के माध्यम से 10,66,893 / रूपये रीको में जमा करवाये थे। तत्पश्चात दिनांक 24-2-2016 को आर. के. एन्टरप्राईजेज के नाम से अलोटमेन्ट कर दिया गया। जिसके फाईनल पेमेन्ट की राशि

42,99,531 / रूपये दिनांक 17-2-2017 को NEFT के माध्यम से रीको में जमा करवा दिये थे। नियमानुसार रीको नियम 1979 में 5 वर्ष तक उत्पादन प्रारम्भ करने से बेच नहीं सकने की शर्त पर दिनांक 28-2-2017 को उक्त प्लाट नंबर जी-104 प्रहलादपुरा का आवंटन हुआ था। परिवादी की पत्नि अपने अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण उसने दिनांक 28-4-2017 को एक मुखत्यारनामा आम मैसर्स हरिमोहन डीटरजेन्ट जरिये प्रोपराईटर श्रीमती नुपुर गर्ग पत्नि विकास गर्ग के नाम करवायी थी। लेकिन मैसर्स हरिमोहन डिटरजेंट की प्रोपराईटर नुपुर गर्ग ने परिवादी की पत्नि की फर्म आर.के. एन्टरप्राईजेज की संपत्ति प्लाट नंबर जी-104, प्रहलादपुरा रीको औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर है, उक्त प्लाट के फर्जी एवं कूटरचित उत्पादन के बिल व अन्य कागजो की कूटरचना कर ली, आर.के. एन्टरप्राईजेज की जीएसटी में रेखा गोयल के स्थान पर नुपुर अग्रवाल ने अपना नाम डाल लिया एवं आर.के. एन्टरप्राईजेज की प्रोपराईटरशिप भी कूटरचित दस्तावेजात स्वयं के नाम से दिनांक 11-11-2017 को बना लिये। प्लास्टिक के आईटम्स और रबर पार्ट्स बनाना था, उसका उत्पादन कभी प्रारम्भ नहीं हुआ। मौके पर दिनांक 3-11-2017 को झूठा उत्पादन बताया है, जबकि उत्पादन प्रारम्भ करने की सूचना रीको का लेटरपेड का दुरूपयोग करके दिनांक 8-12-2017 को दी है । आर.के. एन्टरप्राईजेज के लेटर हेड पर डी०जी. सेट किराया पर दिखाया है, जो फर्जी बिल है। परिवादी की पत्नि रेखा गोयल की आर. के एन्टरप्राईजेज की एसएसओ-आई. डी को रीको में धोखाधडी बदनियती से बदल दिया गया ताकि रीको की कार्यवाही रेखा गोयल आर.के. एन्टरप्राईजेज की एसएसओ आई.डी. पर नहीं आ सके तथा रीको की सारी प्रोसीडिंग्स प्लाट नंबर जी-104 की नुपुर गर्ग ने अपने पते पर बदलवा ली है तथा सी.एल.ए. नंबर आर.के. एन्टरप्राईजेज को भी धोखाधडी से नुपुर ने बदलवा दिया था, ताकि आर.के. एन्टरप्राईजेज को कोई जानकारी नहीं मिल सके। 67500/रू.का रिफण्ड ऑर्डर जो रीको से प्राप्त हुआ था, वो भी नुपुर गर्ग के द्वारा आर.के. एन्टरप्राईजेज का फजी खाता व जीएसटी नंबर लेकर प्राप्त कर लिया है। साथ ही सुनीता रानी से जो विक्रय प्रतिफल राशि 90 लाख रूपये प्राप्त हुई थी, वह भी फर्जी खाता खोलकर हडप ली है। सुनीता रानी, जिसने अपने आपको आदित्य फार्मा इंजीनियर का प्रोपराईटर बताया था, जिसने सिर्फ विक्रयपत्र कराने के लिए ही दिनांक 1-7-2017 को जीएसटी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया एवं उसके बाद उसे बंद कर दिया। नितिन गर्ग जोकि प्रोपर्टी का कार्य करता है, वह विकास गर्ग के साथ परिवादी के पास आया था तथा उसके द्वारा अवेध तरीके से कई अन्य कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये थे, जिनका दुरूपयोग करके उसने उक्त फर्जीवाडा किया है। श्रीमती लक्ष्मी मंघनानी ने अपने आपकपो खाटूयाम प्रा० लि० की डायरेक्टर होना बताकर धोखाधडी से विकयपत्र कराया था, जबकि वह वास्तव में उक्त कम्पनी की डायरेक्टर ही नही है। मैसर्स खाटूश्याम प्रा०लि० की डायरेक्टर लक्ष्मी मंघनानी द्वारा विक्रयप्रतिफल राशि तीन करोड का भुगतान आदित्य फार्मा इंजीनीयर्स को देना बताया है, लेकिन इनकम टैक्स में उक्त राशि को नहीं दर्शाया है। 3- यहकि उसके बाद मैसर्स हरिमोहन डीटरजेंट की प्रोपराईटर नुपुर गर्ग ने 21-3-2018 को मैसर्स आदित्या फार्मा इन्जिनियर की प्रोपराईटर श्रीमती सुनीता रानी पत्नि श्री विनोद कुमार देशवाल को 23-3-2018 को 90,00,000/ रूपये में अवैध रूप से धोखाधडीपूर्वक, कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर विक्रय कर दिया तथा जो विक्रय प्रतिफल राशि 90,00,000 / रूपये जरिये चैक प्राप्त की है, वो राशि परिवादी की पत्नि श्रीमती रेखा गोयल को अदा नहीं करके स्वयं हडप कर ली तथा मैसर्स आदित्या फार्मा इंजीनियर्स ने दिनांक 24-7-2020 को खाटूश्याम जी मैन्यूफेक्चरिंग प्रा०लि० को परिवादी की पत्नि के प्लाट नंबर जी-104 प्रहलादपुरा को अवैध रूप से विक्रय प्रतिफल राशि 3,00,00,000 / रू. अक्षरे तीन करोड रूपये में बेचान कर दी है।4- यहकि इस प्रकार से परिवादी के प्लाट नंबर जी-104 प्रहलादपुरा क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर को खुद-बुर्द कर दिया है एवं धोखाधडी से गलत दस्तावेज के आधार पर खाटूश्याम जी मेन्यूफेक्चरिंग प्रा०लि० ने एक्सिस बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, पूजा टॉवर-3, गोपालपुरा बाईपास, महावीरनगर, जयपुर से 11,30,00,000/ रू. अक्षरे ग्यारह करोड तीस लाख रूपये का ऋण दिनांक 16-10-2025 को परिवादी के उक्त प्लाट नंबर जी-104 पर लेकर उक्त ऋण हडप करके फर्जीवाडा किया है। संगठित भू-माफियाओं के गिरोह ने परिवादी की पत्नि रेखा गोयल के स्वामित्व व कब्जे के प्लाट नंबर जी-104 प्रहलादपुरा जयपुर को रीको के कर्मचारीयों से आपराधिक षडयंत्र. रचकर फर्जी उत्पादन की रिपोर्ट बना ली, जबकि उक्त प्लाट पर विद्युत कनेक्शन तक नहीं था ओर कोइ निर्माण नहीं था। इस प्रकार उक्त फर्जीवाडा कानून को ताक पर रखकर कूटरचित दस्तावेजात को असली के रूप में काम में लेकर हडप करके किया गया है।5- यहकि नुपुर गर्ग ने रीको के अधिकारियों एवं कर्मचारीयों से सांठ गांठ करके धोखाधडी से पूर्व सूनियोजित आपराधिक षडयंत्र रचकर बेईमानीपूर्वक इरादे से परिवादी की पत्नि के स्वामित्व के प्लाट नंबर जी-104 प्रहलादपुरा, रीको. इण्ड. ऐरिया जयपुर को हडप लिया है एवं धोखाधडी से रीको के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ रच कर अवैध रूप से फर्जी तरीके से से विकयपत्र से जो अलोटमेन्ट वूमेन केटेगरी में अलोट हुआ था, उसमें 25 प्रतिशत की वूमेन केटेगरी में 16,87,500 / रूपये की छूट पर अलौट हुआ था वह भी वापस रीको में जमा नहीं करवाया, जोकि अनिवार्य रूप से जमा करवाना था, इसके बावजूद रीको में उक्त समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से की गयी है। इस प्रकार नुपुर ने अन्य आरोपियों से मिलीभगत करके स्वयं को सदोष लाभ व परिवादी की पत्नि को सदोष हानि पहुंचाने का अपराध किया है।अभियुक्तगण का उक्त कृत्य 6- यहकि अभियुक्तगण ने परिवादी की पत्नि आर. के. एन्टरप्राईजेज का प्लाट नंबर जी-104 प्रहलादपुरा रीको इण्ड. ऐरिया जयपुर को धोखाधडीपूर्वक हडप लिया है। उक्त समस्त आपराधिक कृत्य रीको कार्यालय सीतापुरा एवं उप-पंजीयक कार्यालय में निरन्तर परिवादी के घर ई-52-ए, लाल

बहादुर नगर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से मुखत्यारनामा लिखा जाने से अपराध प्रारम्भ हुआ है, जो लगातार अपराध विभिन्न जगहो पर कारित हुआ है। धोखाधडी व कूटरचना का अपराध परिवादी के घर ई-52-ए, लाल बहादुर नगर, जे.एल. एन. मार्ग, जयपुर पर मुखत्यारनामा आम दिनांक 28-4-2017 को लिखा जाने के समय अपराध जारी होकर निरन्तर रिको कार्यालय में हुआ है, जोकि पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए माननीय न्यायालय को परिवादपत्र सुनने व निर्णित करने का विधिनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त है।7- यहकि परिवादी अभियुक्त के उक्त धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर में गया लेकिन पुलिस वालो ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तत्पश्चात परिवादी ने एसएचओ जवाहर सर्किल जयपुर एवं पुलिस उपायुक्त-पूर्व जयपुर महानगर को दिनांक 05-12-2025 को लिखित रिपोर्ट प्रेषित की, लेकिन पुलिस वालो ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए यह परिवादपत्र माननीय न्यायालाय में पेश करना लाजिम आया है। 7- यहकि इस संबंध में अन्य कोई फौजदारी परिवाद किसी अन्य न्यायालय में पेश नहीं किया है। 8- यहकि परिवादपत्र उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः परिवादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवाद पत्र स्वीकार कर धारा 175-3 बी.एन.एस.एस. के तहत अनुसंधान हेतु संबंधित पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर भिजवाया जाकर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया जावे एवं अभियुक्त को उनके द्वारा कारित अपराध की सख्त सजा से दण्डित करने की कृपा करे। परिवादी अनिल कुमार गोयल

------ कार्यवाही पुलिस पुलिस ------ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त इस्तगासा टाईप शुदा बखत हिन्दी न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 08 जयपुर महानगर प्रथम का अन्तर्गत धारा 175(23) BNSS का परिवादी श्री अनिल गोयल पुत्र श्री नरेश चन्द उम्र 68 वर्ष नि० ई 52 A लाल बहादुर नगर JLN मार्ग जयपुर पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व का जरिये डाक प्राप्त हुआ मजमून इस्तगासा से अपराध धारा 316(2), 318(4), 336(2), 339, 340(2), 62 (2) BNS का पाया जाता है । दर्ज कर तफ्तीश श्री रामराज ASI के जुम्मे की गई । CCTNS मे प्रविष्टी करने पर जारी FIR क्रमांक आने पर पृथक से निचे अंकित किया जावेगा ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Ramraj **Rank (पद):** सहायकउप - निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Amar Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/01/2026 18:40:55

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Amar Singh

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	2001				
2	पुरुष	2006				
3	पुरुष	2006				
4	पुरुष	2006				
5	महिला	2006				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)